प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 172/**2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Radheshyam Dangi Add: Thur, Badgaon, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329473959585734 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7549986660 दिनांक 02.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/172/24/1390—91 दिनांक 02.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/3803 दिनांक 26.12.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/2530 दिनांक 28.11.2024 को आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 17.12.2024 से प्रेषित कर दी गई है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 3803 दिनांक 26.12.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 2530 दिनांक 28.11.2024 से एवं दिनांक 17.12.2024 से ऑनलाईन सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर